तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
२४-१-२०२०	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक २४-२-२०२० को पेश हो। लो **रीडर**	
२४-२-२०२०	वकील उभयपक्ष उप० हैं। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-3-2020 को पेश हो।	
5-3-2020	वकील उभयपक्ष उप० हैं। T.I. प्रा०पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि भूमि ख०नं० 36 रकबा 1.25 है० ग्राम सालोदा के कब्जे में अप्रार्थीगण प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। **उप जिला कलेक्टर** गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2018	4.1.2018	5-3-2020

रामकल्याण पुत्र रामसिंह, गुर्जर निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी गिर्राज, ब्राह्मण, निवासी सैनिक नगर, गंगापुर सिटी
2. चन्द्रमोहन पुत्र राधेश्याम, महाजन निवासी नरसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी
3. नगर परिषद गंगापुर सिटी जरिए आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी
4. सभापति, नगर परिषद गंगापुर सिटी
5. निर्मला पत्नी महेश कुमार मीना निवासी मनेमा तह0 हिण्डौन

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री दिलीप पैगोरिया, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
श्री इन्दरलाल गुप्ता, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 3, 4 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत ख0न0 36 रकबा 1.25 है0 एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 5 की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 37 रकबा 0.75 है0 ग्राम सालौदा तह0 गंगापुर सिटी में स्थित हैं। ख0न0 36 एवं 37 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी की सहखातेदारी का खेत ख0न0 37 के उत्तरी कोने में प्रार्थी के मवेशी के गोबर व कूडा करकट का घूडा पडा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, अप्रार्थी संख्या 3, 4 के एक कर्मचारी को लेकर दिनांक 2.1.18 को प्रार्थी की भूमि ख0न0 36 एव 37 पर पहुच गये और प्रार्थी के घूडे को फैलाने लग गये। प्रार्थी ने मना किया तो कहने लगे कि अभी तो घूडा फैलाने आये है। अब तुम्हारे इन खेतो पर नगर परिषद प्लाट काट कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कब्जा संभलायेगी। इस पर प्रार्थी ने कहा कि भूमि ख0न0 36 37 से नगर परिषद का कोई सम्बन्ध नही है, इस पर उन्होने प्रार्थी से कहा कि आप इस सम्बन्ध में आयुक्त व सभापति महोदया से सम्पर्क करो। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से उनके कार्यालय पर जाकर मिला तो उन्होने धमकाते हुए कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उनके व्यक्ति है, हम इनके साथ है, तुम्हारे ख0न0 36 व 37 में इनका कब्जा करवायेगें। इसलिए ऐसी परिस्थिति मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 के बाहर होने के कारण उसे प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है, उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0न0 36 व 37 वाके ग्राम सालोदा तह0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

गंगापुर सिटी के पूर्णतः या आंशिक किसी भी भाग पर कब्जा न करे और ना ही किसी अन्य से करावें। इस भूमि में पडे हुए प्रार्थी के घूडे को खुर्द बुर्द न स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि दिनांक 2.1.18 को अप्रार्थी किसी भी कर्मचारी को लेकर ख0न0 36 व 37 पर कभी नही गया था, सारी कहानी मनगढन्त है। प्रार्थी का प्राईमा फेसी किसी तरह से साबित नही है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही है बल्कि मिन जबाबदार के पक्ष मे है। अप्रार्थी ने अपने जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि अप्रार्थी जबाबदार ने आवासीय योजना रीको क्षेत्र ख0न0 4 भूखड संख्या 72 साईज 30 बाई 25 फिट नियमानुसार नीलाम मे खरीद किया था और नगर नियोजक कोटा द्वारा रास्ता चौडा करने पर प्रार्थी को संशोधित योजना में प्लाट नम्बर 72 ए दिया गया है। जिसका पट्टा भी नियमानुसार जारी किया गया है। प्रार्थी ने चालाकी से तथ्यो को छिपाकर ख0न0 4 का दावा पेश नही किया क्योकि ख0न0 4 आबादी का है और विवादित भूखंड जरिए रजिस्टर्ड डीड के पट्टा द्वारा दिया गया है और आवासीय भूमि व पट्टा केन्सिल की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायलय को नही होने एवं गलत तथ्यो का दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सारी बात बनावटी लिखी है। इस कारण दावा व प्रार्थना पत्र मय टी.आई मय हर्जे खर्चे पर खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि ख0न0 37 ग्राम सालौदा 90 ए मे परिवर्तित होकर नगर परिषद गंगापुर सिटी के नियंत्राणाधीन भूमि है जिससे प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थी द्वारा आबादी में परिवर्तित भूमि के सम्बन्ध में हस्तगत वाद कृषि भूमि कथित करते हुए प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। दिनांक 2.1.2018 का घटनाक्रम पूर्ण रूप से मिथ्या व काल्पनिक है। भूमि ख0न0 37 नगर परिषद की नियंत्रणाधीन भूमि है जिस पर अतिक्रमियो द्वारा अवैध अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मिथ्या तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थी संख्या 1 ने फोटोप्रति, पट्टा दिनांक 18.7.06 मय रसीद, साईट प्लान प्रस्तुत किये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि 36 उसकी खातेदारी की भूमि है तथा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादग्रस्त भूमि ख0न0 37 प्रार्थी की एवं अप्रार्थी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 प्रार्थी की भूमि मे कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए इन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि भूमि ख0न0 4 मे अप्रार्थी ने एक भूखण्ड संख्या 72 साईज 25 बाई 50 फिट का नीलामी मे खरीदा था। जिस पर अप्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि की आड मे नगर परिषद की ख0न0 4 की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसे हटाने की कार्यवाही करने पर प्रार्थी ने यह मुकदमा गलत तथ्यो पर प्रस्तुत कर दिया है। जो खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के वकील ने अपनी बहस मे कहा कि ख0न0 37 ग्राम सालौदा 90 ए मे परिवर्तित होकर नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुकी है। इस भूमि से अब प्रार्थी का कोई वास्ता नही है। नगर परिषद की इस भूमि पर अतिक्रमियो द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। जिन्हे हटाने की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा रही है । प्रार्थी ने गलत आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार भूमि ख0न0 36 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी मे दर्ज है एवं भूमि ख0न0 37 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी मे दर्ज है। नगर परिषद का कथन है कि ख0न0 37, 90ए की कार्यवाही होकर नगर परिषद के नाम दर्ज हो चुका है। नगर परिषद के कथन का प्रार्थी का कोई खंडन नही किया है। ऐसी स्थिति मे केवल ख0न0 36 ही प्रार्थी की खातेदारी मे माना जा सकता है। इस भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थी को कोई बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि भूमि ख0न0 36 रकबा 1.25 है0 ग्राम सालौदा के कब्जे मे अप्रार्थीगण प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे और ना किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 13:22:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: